

24.8.17

उपरोक्त हुकम को लागू करने के लिये राजकीय कार्य से बाहर किया जा रहा है / परिवर्तित है।
अतः पत्रावली दिनांक 16-11-17 को पेश हो।
पूर्व का आदेश अमान्य रहता है।
उपरोक्त अधिकारी नामफल

(6-11-17)

पत्रावली पेश हुई। (कूलाम प्रदीप) उपस्थित। विपरीत रूप से कूलाम प्रदीप से कूलाम प्रदीप, एडवोकेट के लिये कूलाम प्रदीप को पत्रावली पेश करने का आदेश दिया जाता है। वारंट विपरीत रूप से कूलाम प्रदीप को पत्रावली दिनांक 25-1-18 को पेश करने का आदेश जारी किया गया है।
पत्रावली दिनांक 25-1-18 को पेश की जा रही है।

332 को मिला है
हुकम 319 में
Smart
3-1-18

25-1-18

उपरोक्त हुकम को लागू करने के लिये राजकीय कार्य से बाहर किया जा रहा है / परिवर्तित है।
अतः पत्रावली दिनांक 25-1-18 को पेश हो।
पूर्व का आदेश अमान्य रहता है।
उपरोक्त अधिकारी नामफल

7-5-18

पत्रावली केस.....को पेश हुई।
आगामी दिनांक.....16-8-18 को पेश हो।
पूर्व का आदेश अमान्य रहता है।

16-8-18

पत्रावली पेश हुई, तकील बाढ़िया उपस्थित; तकील बाढ़िया अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्राथीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली तो अपूरणीय क्षति होगी। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्राथीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र इन्तर्गत धारा 212 R.T.A के तहत कूलाम प्रदीप के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर कूलाम बाढ़िया के साथ सलग्न हो।

उपरोक्त अधिकारी
मांडल जिला पीलवाड़ा